न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
(शिविर प्रभारी पंचायत समिति गुड़ामालानी / आड़ेल)
पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

[illegible]रण संख्याः 117 / 2020

प्रार्थीगण :–

1. दमाराम पुत्र हीराराम
   कौम जाट निवासी मगासर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. हरजी वल्द रेखा वगैरा (28)
29. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाड़मेर

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री रामजीवन विश्नोई अधिवक्ता विप्रार्थीगण

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 08.12.2021

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 13, 17, 19 ता 24 की ओर से वकील रामजीवन विश्नोई उपस्थित हुए परन्तु प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का कोई उजर एतराज पेश नहीं किया शेष विप्रार्थीगण के खिलाफ बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 केम्प **गोलिया जैतमाल** पेश हुई। हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा मजमेआम जानकारी ली गई। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सरहद मौजा मगासर के खेत खसरा नम्बर 388 रकबा 95–02 बीघा का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से वक्त प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है **दोनों पक्षकारों को मौके पर उपस्थित रहने की सूचना विधिवत नोटिस देकर तथा मौके पर उपस्थित करते हुए, दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में** विवादित खसरा सरहद मौजा मगासर के खेत खसरा नम्बर 388 रकबा 95–02 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। [illegible] प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार [illegible] को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस [illegible] किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, [illegible] करे। तहरीर जारी हो। [illegible] प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली [illegible] जावे। पत्रावली फैसल [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:12:48 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 8/12/21 को प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय **गोलिया जैतमाल** में मजमेआम खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी